रीडर
उप खण्ड अधिकारी बारी

14.2.22 पत्रावली पेश हुई बहसुलाहजा फरीकैन अन्य तहसील है। अग्रिम प्रावधान अग्रिम पुनः तामील पश्चात किया जावे। पत्रावली बाबत अग्रिम प्रावधान दिनांक 1.4.22 को पेश हो।

20.5.22 पीठासीन अधिकारी अनुपस्थित में रहने से पूर्ववत दिनांक 26.7.22 को प्रस्तुत हो।

रीडर
उप खण्ड अधिकारी बारी

26.7.22 पत्रावली पेश हुई वकील बादी व स्थगन बादी उक्त वकील प्रकरण के जवाब बादी गण। मौके पर पुनः पेश नहीं किया है। बादी द्वारा पत्र पत्र पेश नहीं किया है बादी व स्थगन वकील बादी को बीत काल आगामी लगभग गवाही कायम हुकम के न्यायालय के उक्त वकील द्वारा बादी को बाद पत्र पत्र के आगामी के एवं अग्रिम हाजरी अग्रिम पेशी के खारिज किया जाता है। पत्रावली मौसिल सुनाई होकर बाद तामील तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.05.01 12:38:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner